Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला उदयपुर में आरोपी श्री कमलेश चनाल हाल स्वास्थ्य प्रभारी, नगर निगम उदयपुर 8,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों एवं परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी श्री अनिल हाल जमादार को किया गिरफ्तार।**

जयपुर, 05 अप्रेल, शनिवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी एस.यू. उदयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री कमलेश चनाल हाल स्वास्थ्य प्रभारी, नगर निगम उदयपुर को परिवादी से 8,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों एवं परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी श्री अनिल हाल जमादार नगर निगम उदयपुर को भी गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी एस.यू. उदयपुर को दिनांक 01.04.2025 को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी नगर निगम उदयपुर में सफाईकर्मी है और वर्ष 2024 में जून माह में परिवादी का एक्सीडेंट हो जाने से हाथ में चोट लग जाने से फावड़े से नाली सफाई का काम करने में परेशानी होने से सहुलियत वाले काम के लिये जमादार अनिल से गुजारिस की तो अनिल जमादार ने परिवादी को कमलेश स्वास्थ्य प्रभारी से मिलवाया और कमलेश स्वास्थ्य प्रभारी ने परिवादी को दो महिने तक फावडे से नाली सफाई के काम पर नहीं लगा कर परिवादी को निगरानी के काम पर लगा कर सहुलियत दी गई, जिसके एवज में आरोपी कमलेश ने परिवादी से प्रत्येक माह के 10,000/– रूपये के हिसाब से कुल 2 महिने के 20,000/– रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी चौकी एस.यू. उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव जोशी** के नेतृत्व में आज दिनांक 05.04.2025 को **पुलिस निरीक्षक श्री लक्ष्मण लाल डांगी** एवं अन्य के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री कमलेश चनाल हाल स्वास्थ्य प्रभारी, सेक्टर नम्बर 09, कार्यालय स्वास्थ्य निरीक्षक सेक्टर 11, गोवर्धन विलास नगर निगम जिला उदयपुर को परिवादी से 8,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों एवं परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी श्री अनिल हाल जमादार वार्ड नम्बर 17, नगर निगम उदयपुर को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।